

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) राज्य कर,

गोण्डा, अलीगढ़-ए/बी, मुरादाबाद-ए, लखनऊ-बी/सी, झांसी ।

कृपया आपके सम्भाग से सम्बन्धित सूची में अंकित प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, अंकित बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-189/11-4-2023-400(94)/ 2000 टी0सी0 दिनांक 11-05-2023 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में यह आश्वस्त कर लिया जाए कि मृत व्यापारी उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी था तथा उनका CGST पंजीयन उत्तर प्रदेश राज्य में था ।

उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि का बजट आवंटन किया जा चुका है :-

क्र0 सं0	जोन का नाम	आहरण वितरण अधिकारी	मृतक व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1	Ayodhya	बहराइच	स्व0 मनोज कुमार	सर्वश्री गरिमा इण्टरप्राइजेज, बहराइच	15-02-2021	श्रीमती अनीता, पत्नी	10.00 लाख
2	Aligarh	अलीगढ़	स्व0 श्री गोपाल माहेश्वरी	सर्वश्री केशव ट्रेडर्स, अलीगढ़	17-09-2022	श्रीमती जयमाला माहेश्वरी, पत्नी	10.00 लाख
3	Moradabad	सम्भल	स्व0 श्री शजीउल रहमान	सर्वश्री एस0आर0ट्रेडिंग कम्पनी, सम्भल	28-03-2023	श्रीमती बुशरा रहमान, पत्नी	10.00 लाख
4	Lucknow	रायबरेली	स्व0 श्री अभय प्रताप सिंह	सर्वश्री दीप कान्सट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर्स, रायबरेली	04-02-2023	श्रीमती रंजना सिंह, पत्नी	10.00 लाख
5	Lucknow	लखनऊ	स्व0 श्री राजेश	सर्वश्री जय बजरंग प्लाई एण्ड हार्डवेयर, सतरिख रोड, लखनऊ	13-03-2023	श्रीमती गीता यादव, पत्नी	10.00 लाख
6	Aligarh	एटा	स्व0 श्री अजवेश सिंह	सर्वश्री अजवेश किराना स्टोर, एटा	14-05-2023	श्रीमती संगीता, पत्नी	10.00 लाख
7	Lucknow	रायबरेली	स्व0 श्री सुरेश कुमार मौर्य	सर्वश्री एग्री जक्शन महाराजगंज, रायबरेली	18-08-2023	श्रीमती मधु, पत्नी	10.00 लाख
8	Jhansi	झांसी	स्व0 श्री आशीष अम्बेडकर	सर्वश्री आशीष इण्टरप्राइजेज, झांसी	23-09-2022	श्रीमती चन्द्रा अहिरवार, पत्नी	10.00 लाख
कुल योग							80.00 लाख

उक्त मद में आवंटित बजट को किसी भी दशा में लैप्स न होने दिया जाए, तथा सम्बन्धित प्रकरणों के भुगतान के पश्चात् प्रकरण के भुगतान की स्थिति को विभागीय वेबसाइट के Vyas पोर्टल पर भी Update कर दिया जाए ।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(महा मिलिन्द लाल)

अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर आयुक्त, राज्य कर, अयोध्या, अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ-1/2, झांसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया उपरोक्त प्रकरणों को अपने Vyas पोर्टल से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के पोर्टल पर अग्रसारित करने का कष्ट करें ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, बहराइच, अलीगढ़, सम्भल, रायबरेली, लखनऊ, एटा, झांसी को इस आशय से प्रेषित की उक्त प्रकरणों में भुगतान के पश्चात् अपने Vyas पोर्टल पर Update करना सुनिश्चित करें ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु ।

अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) राज्य कर,

गोण्डा, अलीगढ़-ए/बी, मुरादाबाद-ए, लखनऊ-बी/सी, झांसी ।

कृपया आपके सम्भाग से सम्बन्धित सूची में अंकित प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, अंकित बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-189/11-4-2023-400(94)/ 2000 टी0सी0 दिनांक 11-05-2023 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में यह आश्वस्त कर लिया जाए कि मृत व्यापारी उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी था तथा उनका CGST पंजीयन उत्तर प्रदेश राज्य में था ।

उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि का बजट आवंटन किया जा चुका है :-

क्र0 सं0	जोन का नाम	आहरण वितरण अधिकारी	मृतक व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1	Ayodhya	बहराइच	स्व0 मनोज कुमार	सर्वश्री गरिमा इण्टरप्राइजेज, बहराइच	15-02-2021	श्रीमती अनीता, पत्नी	10.00 लाख
2	Aligarh	अलीगढ़	स्व0 श्री गोपाल माहेश्वरी	सर्वश्री केशव ट्रेडर्स, अलीगढ़	17-09-2022	श्रीमती जयमाला माहेश्वरी, पत्नी	10.00 लाख
3	Moradabad	सम्भल	स्व0 श्री शजीउल रहमान	सर्वश्री एस0आर0ट्रेडिंग कम्पनी, सम्भल	28-03-2023	श्रीमती बुशरा रहमान, पत्नी	10.00 लाख
4	Lucknow	रायबरेली	स्व0 श्री अभय प्रताप सिंह	सर्वश्री दीप कान्सट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर्स, रायबरेली	04-02-2023	श्रीमती रंजना सिंह, पत्नी	10.00 लाख
5	Lucknow	लखनऊ	स्व0 श्री राजेश	सर्वश्री जय बजरंग प्लाई एण्ड हार्डवेयर, सतरिख रोड, लखनऊ	13-03-2023	श्रीमती गीता यादव, पत्नी	10.00 लाख
6	Aligarh	एटा	स्व0 श्री अजवेश सिंह	सर्वश्री अजवेश किराना स्टोर, एटा	14-05-2023	श्रीमती संगीता, पत्नी	10.00 लाख
7	Lucknow	रायबरेली	स्व0 श्री सुरेश कुमार मौर्य	सर्वश्री एग्री जक्शन * महाराजगंज, रायबरेली	18-08-2023	श्रीमती मधु, पत्नी	10.00 लाख
8	Jhansi	झांसी	स्व0 श्री आशीष अम्बेडकर	सर्वश्री आशीष इण्टरप्राइजेज, झांसी	23-09-2022	श्रीमती चन्द्रा अहिरवार, पत्नी	10.00 लाख
कुल योग							80.00 लाख

उक्त मद में आवंटित बजट को किसी भी दशा में लैप्स न होने दिया जाए, तथा सम्बन्धित प्रकरणों के भुगतान के पश्चात् प्रकरण के भुगतान स्थिति को विभागीय वेबसाइट के Vyas पोर्टल पर भी Update कर दिया जाए ।
यह पत्र आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(महा मिलिन्द लाल)
अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर आयुक्त, राज्य कर, अयोध्या, अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ-1/2, झांसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया उपरोक्त प्रकरणों को Vyas पोर्टल से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के पोर्टल पर अग्रसारित करने का कष्ट करें ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, बहराइच, अलीगढ़, सम्भल, रायबरेली, लखनऊ, एटा, झांसी को इस आशय से प्रेषित की उक्त प्रकरणों में भुगतान पश्चात् अपने Vyas पोर्टल पर Update करना सुनिश्चित करें ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु ।

(अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।